न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/2364/री.ए.डी.ए /2021

इन्दौर, दिनांक 16–5–2021

// आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
(विषय– सम्पूर्ण इन्दौर जिले में जनता कफ्र्यु की अवधि दिनांक 29–5–2021 तक बढाये जाने बाबत)

विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक/2306/रीएडीएम/2021 इन्दौर, दिनांक 8–5–2021 के द्वारा इन्दौर जिले में जनता कफ्र्यु की अवधि दिनांक 16–5–2021 तक प्रतिबंधों के साथ बढाई गई थी। जनता कफ्र्यु की यह अवधि सम्पूर्ण इन्दौर जिले हेतु आज प्रचलित प्रतिबंधों के साथ निम्नानुसार केवल राशन/ग्रोसरी दुकानें खोलने के आंशिक संशोधन के साथ दिनांक 29–5–2021 तक बढाई जाती है–

1– राशन ग्रोसरी के थोक एवं खेरची दुकानें खोलने एवं बंद होने की व्यवस्था में कल दिनांक 17–5–2021 अर्थात सोमवार से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है–

1.1 यह कि सोमवार से शुक्रवार तक खेरची राशन/ग्रोसरी की दुकानें प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक खुल सकेगी। वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूह से यह अनुरोध है कि स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत यथासंभव इन खेरची दुकानों से घर–घर सप्ताई की व्यवस्था का प्रयास भी किया जावे।

1.2 यह कि राशन से संबंधित थोक दुकानें इन्दौर शहर में निम्नानुसार 4 स्थानों पर स्थित है–

(1) सियागंज
(2) मल्हारगंज, धानगली
(3) मालवामील क्षेत्र
(4) छावनी क्षेत्र

राशन से संबंधित उक्त थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 1 बजे तक सशर्त खुली रह

सकेगी। राशन से संबंधित थोक दुकानें निम्नानुसार शर्तों के अधीन कार्य करेंगी—

अ— यह कि राशन थोक विक्रेता फोन पर आर्डर लेकर सप्लाई करेंगे तथा कोई भी ग्राहक दुकानों पर नहीं आएंगे।

ब— उक्त चारों क्षेत्र जहॉ पर थोक दुकानों के बीच खेरची दुकानें भी हैं, ये दुकानें भी खेरची श्रेणी की होने से उक्त तीन दिनों में जब थोक दुकानें खुली रहेंगी, प्रातः 6 से अपरान्ह 12 बजे तक फोन पर ही बुकिंग कर सप्लाई कर सकेंगी अर्थात इन खेरची दुकानों पर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार ग्राहक नहीं आ सकेंगे। अन्य दो दिन सोमवार एवं गुरूवार इन खेरची दुकानों पर प्रातः 6 बजे से 12 बजे के बीच ग्राहक आ सकेंगे।

1.3 शहर के अन्य स्थानों पर (उक्त 4 स्थानों को छोड़कर) स्थित किराना/ग्रोसरी दुकानें पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक ग्राहक आ सकेंगे किन्तु वार्ड क्राईसेस मैनेजमेंट समिति से अनुरोध है कि होम डिलेवरी को बढ़ावा इन दुकानों से भी दिया जावे।

1.4 उक्त चार क्षेत्र जहॉ पर थोक राशन की दुकानें हैं, क्षेत्रीय एसडीएम पुलिस की विशेष व्यवस्था लगाएंगे ताकि इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो।

2— उद्योग, गोडाउन, ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े व्यक्ति पूर्वानुसार 24 घंटे में निर्धारित तीन समय स्लॉट के बीच ही आवाजाही कर सकेंगे।

4— सभी प्रकार के लोडिंग वाहनों को शहर में आवाजाही में छूट रहेगी।

5— विभिन्न एजेंसी जैसे— बीग बास्केट, ऑनडोर, बिग बाजार आदि जो किराना एवं ग्रोसरी की होम डीलेवरी कर सकती है, ऐसी एजेंसी को प्रातः 6 बजे से सांय 5 बजे तक केवल किराना/ग्रोसरी की होम डीलेवरी करना प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। ये एजेंसी अपने कर्मचारी एवं सुपरवाईजर्स को फोटोयुक्त पहचान—पत्र देगी ताकि पुलिस निरीक्षण में यह अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र बतला सकें। ये सभी एजेंसी अपने होम डीलेवारी करने वाली टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट कराएगी तथा यह रिपोर्ट इन होम डीलेवरी सदस्यों के साथ रखी जावेगी।

6— शनिवार एवं रविवार को होम डीलेवरी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 16/5/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 2365 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 16–5–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.